

मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय,

क्रमांक / ७७८ / १७७३२७० / २०२४ / २०३
प्रति,

भोपाल दिनांक 12/12/2024

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय:- शिक्षण सत्र 2024-25 की आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिये केन्द्राध्यक्षों, सहायक केन्द्राध्यक्षों एवं पर्यवेक्षकों का चयन एवं नियुक्ति बाबत।

- - / / -

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रति वर्ष विभिन्न परीक्षायें हाईस्कूल, हायर सेकण्डरी, विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (DPSE) आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं के लिये चयनित किये गये परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्षों एवं पर्यवेक्षकों का चयन किया जाना है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिये केन्द्राध्यक्ष, तथा सहायक केन्द्राध्यक्षों की आवश्यकता होगी।

2. केन्द्राध्यक्षों/सहायक केन्द्राध्यक्षों एवं पर्यवेक्षकों का परीक्षा केन्द्रवार चयन का कार्य कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाये। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति निम्नानुसार रहेंगी :-

(1)	कलेक्टर	-	अध्यक्ष
(2)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	-	सदस्य
(3)	जिला शिक्षा अधिकारी	-	सचिव सदस्य
(4)	सहायक आयुक्त, /जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण।	-	सदस्य
(5)	प्राचार्य शासकीय उमावि (समन्वयक संस्था)	-	सदस्य
(6)	संभागीय अधिकारी, मा.शि.मण्डल, म.प्र.	-	सदस्य

केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति के लिये प्राचार्य/व्याख्याता/अन्य शिक्षकों के नामों का चयन करते समय समिति द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि-

- (अ) चयन किये जाने वाले शिक्षकों का पुत्र/पुत्री परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहे हो।
- (ब) चयन किये जाने वाले शिक्षक गंभीर रूप से बीमार न हो।
- (स) चयन किये जाने वाले शिक्षक शारीरिक रूप से अक्षम न हो।

तदनुसार चयनित केन्द्राध्यक्ष तथा सहायक केन्द्राध्यक्षों को नियुक्ति पत्र भी उपरोक्तानुसार समिति के अनुमोदन से संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के लिए सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, के हस्ताक्षर से जारी किया जाये। जारी किये जाने वाले नियुक्ति पत्र का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। समिति द्वारा चयन के मापदण्ड परिशिष्ट "अ" अनुसार होंगे।

3. विंगत वर्ष की भाँति केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति जिला स्तर पर रेण्डमाइज करते हुये की जाना है। अतः जिले के NIC केन्द्र से सम्पर्क कर दिनांक 30.12.2024 तक सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करना सुनिश्चित कर लिया जावे। समिति द्वारा चयनित नामों का NIC के माध्यम से जिला स्तर पर रेण्डम पद्धति से परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राध्यक्षों एवं सहायक केन्द्राध्यक्षों की नियुक्ति संलग्न परिशिष्ट-'अ' में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार जिले की निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की कुल संख्या से 20 प्रतिशत अधिक (रिजर्व के रूप में) की जावे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे कि, परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष उसी परीक्षा केन्द्र संस्था का न हो, और न ही उसकी संस्था के छात्र/छात्रायें उक्त केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हों, जिस संस्था के केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्षों एवं पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया हो।

4. केन्द्राध्यक्षों/सहायक केन्द्राध्यक्षों की केन्द्रवार जिला स्तर पर रेण्डम पद्धति द्वारा दिनांक 10.01.2025 तक अनिवार्यतः नियुक्ति कर ली जावे। उपरोक्त निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्षों का चयन करने के उपरांत आपके जिले से संबंधित चयनित एवं रिजर्व केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष की एकसेल सूची मण्डल द्वारा निर्धारित प्रारूप में (मण्डल द्वारा प्रारूप पृथक से जारी किया जावेगा) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा <https://mpbse.conductofexam.in> पर दिनांक 12.01.2025 तक प्रविष्ट करना सुनिश्चित करेंगे।


5. रेण्डम पद्धति से नियुक्त केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष को समुचित कारण से रिजर्व सूची से ही कलेक्टर के अनुमोदन उपरान्त परिवर्तित किया जा सकेगा अन्यथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि परिवर्तित किये गए केन्द्राध्यक्षों एवं सहायक केन्द्राध्यक्षों का विवरण परिवर्तन के कारण सहित <https://mpbse.conductofexam.in> से उसी दिन प्रविष्टि करेंगे।

6. रेण्डम पद्धति से चयनित केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष को मण्डल परीक्षाओं की गोपनीय सामग्री (प्रश्न-पत्र) प्राप्त करने के पश्चात् सामान्यतः परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रश्न-पत्र वितरण उपरान्त केवल आकस्मिक परिस्थितियों में ही सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल की अनुमति उपरान्त ही परिवर्तित किया जा सकेगा।

अतः मण्डल परीक्षायें सत्र 2024-25 के सफल संचालन हेतु उक्तानुसार कार्यवाहियाँ निर्धारित अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

संलग्न—

- 1— जिले का केन्द्र चार्ट
- 2— परिशिष्ट “अ”
- 3— नियुक्ति आदेश प्रारूप



(डॉ. संजय गोयल)

सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,
भोपाल, दिनांक /२/१२/२०२४

पृष्ठा. क्रमांक /२३७/१७७३२७०/२०२३/२०३
प्रतिलिपि :

- 1— आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 2— समस्त— पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश
- 3— समस्त— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
- 4— आंचलिक अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश
- 5— समस्त— संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
- 6— समस्त—संभागीय उपायुक्त/सहा.आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.
- 7— समस्त— जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश
- 8— समस्त— प्राचार्य, जिला समन्वयक संस्थायें, मध्यप्रदेश
- 9— समस्त— संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश
- 10— नि.स.— अध्यक्ष/सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,

मण्डल परीक्षा वर्ष 2024–25 के लिए केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं पर्यवेक्षकों का चयन एवं परिवर्तन संबंधी मापदण्ड


- 1- **निम्न श्रेणी के प्राचार्य/शिक्षकों को केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष की ड्युटी से मुक्त रखा जावे—**
 - 1.1 समन्वयक संस्था प्राचार्य को परीक्षा के दौरान रिजर्व बॉक्स से प्रश्न-पत्र वितरण करना, परीक्षा के मध्य मूल्यांकन कार्य हेतु उत्तरपुस्तिकाओं का संकलन कराना एवं मूल्यांकन कार्य प्रारंभ कराने का दायित्व होता है। अतः मण्डल द्वारा निर्धारित समन्वयक संस्था के प्राचार्य एवं उक्त संस्था में कार्यरत सहायक मूल्यांकन अधिकारी को केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में चयन नहीं किया जावे।
 - 1.2 जिस प्राचार्य/व्याख्याता/शिक्षक के पुत्र/पुत्री मण्डल की परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हो उन्हें भी केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में चयन नहीं किया जावे।
 - 1.3 गंभीर रूप से बीमार अथवा शारीरिक रूप से अक्षम प्राचार्य/व्याख्याता/शिक्षकों को भी केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में चयन नहीं किया जावे।
- 2- **निम्न श्रेणी के प्राचार्य/शिक्षक केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष की ड्युटी हेतु अपात्र होंगे—**
 - 2.1 वर्ष 2024 की परीक्षा में जिन परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल की घटना हुई है तो ऐसे परीक्षा केन्द्रों पर तत्समय नियुक्त केन्द्राध्यक्ष को वर्ष 2025 की परीक्षाओं के लिए पुनः केन्द्राध्यक्ष का चयन नहीं किया जावे।
 - 2.2 वर्ष 2024 की परीक्षाओं में गोपनीयता भंग करने अथवा परीक्षा कार्य में घोर लापरवाही बरतने वाले केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/शिक्षक/अन्य कर्मचारी, केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष के लिए अपात्र होंगे।
 - 2.3 मण्डल परीक्षा कार्य हेतु डिवार किये गये प्राचार्य/व्याख्याता/शिक्षक, केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष के लिए अपात्र होंगे।
- 3- **केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया—**
 - 3.1 केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष के नाम चयन करने के पूर्व प्रथमतः जिले में कार्यरत पात्रता अनुसार योग्य शासकीय विद्यालयों के प्राचार्य, व्याख्याता, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षक की वरिष्ठता के अनुसार सूची तैयार कर ली जावे।
 - 3.2 समिति द्वारा वरिष्ठता के क्रम में प्रथमतः केन्द्राध्यक्ष बनाये जाने हेतु जिले में निर्धारित कुल परीक्षा केन्द्र की संख्या से 20 प्रतिशत अधिक (रिजर्व सहित) पात्र एवं योग्य नामों का चयन किया जावे।
 - 3.3 समिति द्वारा वरिष्ठता के क्रम में केन्द्राध्यक्ष के नामों के चयन उपरान्त शेष बचे शिक्षकों के नामों में से सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में जिले में निर्धारित कुल परीक्षा केन्द्र की संख्या से 20 प्रतिशत अधिक (रिजर्व सहित) नामों का चयन किया जावे।
 - 3.4 समिति द्वारा चयनित नामों का जिले में निर्धारित कुल परीक्षा केन्द्रों के लिये NIC के माध्यम से जिला स्तर पर केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष की पृथक-पृथक रेण्डम पद्धति से नियुक्ति की जावे, उक्त नियुक्ति उपरान्त अतिरिक्त शेष बचे 20 प्रतिशत नामों को रिजर्व के रूप में रखा जावे, जिनका उपयोग वरिष्ठता के क्रम में परिवर्तन की स्थिति में किया जाये।
 - 3.5 यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष से कनिष्ठ है, तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठता के आधार पर केन्द्राध्यक्ष मान्य किया जाये।
 - 3.6 परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन के लिये परीक्षा केन्द्र हेतु निर्धारित संस्था का एक वरिष्ठ व्याख्याता सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में उसी परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त किया जावे। जिसका दायित्व परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक संसाधन (फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं इन्टरनेट आदि) उपलब्ध कराना होगा।

4— पर्यवेक्षक के चयन की प्रक्रिया—

- 4.1 पर्यवेक्षकों के चयन हेतु उच्चतर/माध्यमिक/प्राथमिक शासकीय संस्था के कार्यरत शिक्षकों का प्राथमिकता से चयन किया जावे। जिले में कार्यरत महिला शिक्षकों का चयन अवश्य किया जावे, ताकि आवश्यकता अनुसार जिन केन्द्र पर छात्राएँ परीक्षा में सम्मिलित हो रही हैं, उन केन्द्रों पर इन महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके।
- 4.2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को उनके विषयों के प्रश्नपत्रों में पर्यवेक्षक के रूप में डियूटी नहीं लगाई जावे, साथ ही किसी भी दशा में अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षण का कार्य नहीं कराया जावे।

5— केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष की डियूटी में परिवर्तन-

- 5.1 NIC के माध्यम से जिला स्तर पर रेण्डम पद्धति से नियुक्त केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष को किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जावे, केवल विशेष परिस्थितियों में ही कलेक्टर के अनुमोदन से परिवर्तन किया जावे, किन्तु परिवर्तन के समय NIC के माध्यम से जारी रिजर्व सूची में से ही क्रम अनुसार नामों का चयन कर, कारण दर्शाते हुए आवश्यक परिवर्तन किया जाये, जिसकी सूचना मण्डल मुख्यालय को अनिवार्य रूप से दी जाये।
- 5.2 मण्डल परीक्षाओं की गोपनीय सामग्री वितरण स्थल से थाने तक पहुंचाने एवं परीक्षा तिथियों में थाने से परीक्षा केन्द्र तक गोपनीय सामग्री लाने एवं पश्चातवर्ती कार्यवाहियाँ केवल रेण्डम पद्धति से नियुक्त केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष द्वारा ही संपादित की जावेगी।



(आ.एल.मण्डलोई)

उप सचिव

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण
जिला..... (मध्यप्रदेश)

क्रमांक / / 2025

दिनांक / / 2025

प्रति,

श्री / श्रीमती / सुश्री
उ.मा.वि
जिला (म.प्र.)

परीक्षा केन्द्र क्रमांक :

परीक्षा केन्द्र का नाम :

तहसील जिला

विषय:- हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष-2025 हेतु केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष का नियुक्ति पत्र।

—00—

(1) वर्ष 2025 की परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्र के लिये जिला चयन समिति के निर्णय अनुसार केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में आपको नियुक्त किया जाता है।

केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्वरूप का है। अतः आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अपनी पूरी योग्यता से करना है। विशेष रूप से आपको यह सुनिश्चित करना है कि केन्द्र पर बोर्ड परीक्षा निर्विच्छ रूप से शांतिपूर्वक सम्पन्न हो। परीक्षा केन्द्र पर नकल न हो पाये ताकि परीक्षा की विश्वसनीयता बनी रहे। परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि केन्द्राध्यक्ष अथवा सहायक केन्द्राध्यक्ष ही स्वयं प्रश्नपत्र लाने का कार्य करें। इस संवेदनशील कार्य को किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित नहीं किया जाए। इसी प्रकार उत्तरपुस्तिका निर्धारित स्थान पर जमा करने का कार्य भी केन्द्राध्यक्ष अथवा सहायक केन्द्राध्यक्ष ही स्वयं सम्पन्न करें।

(2) मण्डल के परीक्षा संबंधी कार्यों को मध्यप्रदेश अनिवार्य सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के अंतर्गत अनिवार्य सेवा घोषित किया गया है। अतः इस नियुक्ति पत्र का पालन करना उक्त अधिनियम के तहत आपके लिये बंधनकारी है।

(3) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में परीक्षा संबंधी कार्य में आपके केन्द्र पर यदि कोई गंभीर शिकायत प्राप्त होती है, तो सर्वप्रथम एवं मुख्य रूप से आपको ही जिम्मेदार माना जावेगा। तदानुसार अविलम्ब समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जावेगी, जिसमें निलंबन भी शामिल है। आशा है, आप ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। अतः मण्डल द्वारा इस वर्ष 2024-25 की मण्डल परीक्षाओं के लिये जारी केन्द्राध्यक्ष की निर्देश पुस्तिका में उल्लेखित अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का भली-भाति अध्ययन कर पालन करना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर द्वारा अनुमोदित।

पदमुद्रा

हस्ताक्षर

पूरा नाम -

जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/
जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, जिला.....

पृष्ठां. क्रमांक /

/ 2025

दिनांक / / 2025

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 2. कलेक्टर, जिला मध्यप्रदेश।
 3. थाना प्रभारी, थाना/जिला मध्यप्रदेश।
 4. प्राचार्य, जिला समन्वयक संस्था, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।